



कार्यालय आदेश सं. 188/2020

समय-समय पर यथासंशोधित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 10(ड) के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अनुराग अग्रवाल, उप विकास आयुक्त को विकास आयुक्त कार्यालय, सीपज़-सेज़, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मुंबई में तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश तक के लिए कार्यालय प्रधान के रूप में घोषित किया जाता है।

श्री अनुराग अग्रवाल, उविआ समय-समय पर यथासंशोधित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 1978 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। वे दिनांक 10.01.2020 के कार्यालय आदेश सं.128/2020 द्वारा उविआ को प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(Handwritten signature)

(चन्द्रपाल सिंह चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़, मुंबई

फा.सं.सीपज़-सेज़/प्रशासन/डीडीसी/एए/75/2020-21/10722

दिनांक: 15/9/2020

प्रति:

1. अवर सचिव, सेज़ प्रशासन अनुभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
2. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पुराना केंद्रीय सरकारी कार्यालय भवन, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई-400020
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीपज़-सेज़, मुंबई
4. श्री अनुराग अग्रवाल, उप विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, मुंबई
5. श्री अनुराग अग्रवाल की वैयक्तिक फाइल
6. कार्यालय आदेश फाइल
7. कार्यालय आदेश रजिस्टर
8. विआका/संविआका